For Scome

GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
MINISTRY OF TRANSPORT (PARIWAHAN MANTRALAYA)
DEPARTMENT OF RAILWAYS (RAIL VIBHAG)
(RAILWAY BOARD)

R.B.No.140/86

No.E(P&A)I-81/CPC/LE/8 New Delhi, Dtd. 14 .8.1986

The General Managers,
All Indian Railways including CLW, DLW, ICF & DG/RDSO.

Sub: Entitlement of 10 days earned leave on full pay during a year in lieu of 20 days half pay leave for teachers working in Railway Schools - clarification.

......

Reference this Department's letter of even number dated 22.5.85 wherein certain clarifications have been issued in regard to leave entitlements and procedures for crediting of leave in the case of teachers, Principals and Heads of Schools in the Railway Schools. A doubt has been raised as to whether other schools staff such as Lab. Asstts, Assistants and Librarians and any other Group 'C' and Group 'D' staff could also be brought under the purview of the clarifications issued under Board's letter referred to above. The matter has been examined in consultation with [Deptt. of Personnel & Training,] and it is clarified that only Laboratory Asstts., Librarians and Watermen working in Railway Schools would be covered under Board's letter mentioned above and no other non-teaching staff, either group 'C' or group 'D', are governed by these rules.

This has the approval of the President and issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Department of Railways.

(This disposes of G.M./W.Railway's reference No.EC 637/11 dated 14.9.84).

(K.Venkatesan)
Director, Estt.(P&A)
Railway Board.

No.E(P&A)I-81/CPC/LE-8 New Delhi, Dtd. 14 .8.1986

Copy to the FA & CAOs, All Indian Railways, including CLW, DLW and ICF.

(K.Venkatesan)
Director, Estt.(P&A)
Railway Board.

No.E(P&A)I-81/CPC/LE-8

New Delhi, Dtd. 14 .8.86

Copy to the ADAI(Railways), New Delhi.

for Financial Commissioner,
Railways.

No.E(P&A)I-81/CPC/LE-8

New Delhi, Dtd. 14 .8.86

Copy (with 25 spares) to:-

1. The General Secretary, AIRF, 4-State Entry Road, New Delhi.
2. The General Secretary, NFIR, 3-Chelmsford Road, New Delhi.
3. All members of the National Council, Department Council and Secretary, Staff Side, 13-C, Frozeshan Road, New Delhi.

for Secretary, Railway Board.

Copy to: E(E)III (with 2 spares)
E(LR)I (with 5 spares)
E(G) (with 3 spares)

भारत सरकार

परिवहन मंत्रालय, रेल विभाग

रेलवे बोर्ड

सं0 ई(पीएंडए)I-81/सीपीसी/एलई/8 नई दिल्ली, दिनांक 14-8-1986

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें,
चि0रे0का0, डी0रे0का0, स0डि0का0 एवं
महानिदेशक/अ0अ0मा0संगठन।

विषय:- रेलवे स्कूलों में कार्यरत अध्यापकों के लिए 20 दिन अर्ध वेतन छुट्टी के बदले वर्ष के दौरान पूरे वेतन पर 10 दिन के अर्जित अवकाश की पात्रता -स्पष्टीकरण।

....

यह पत्र इस विभाग के 22.5.85 के समसंख्यक पत्र के संदर्भ में है जिसमें रेलवे स्कूलों में अध्यापकों, प्रिंसिपलों और स्कूल के प्रधानों के मामले में छुट्टी की पात्रता और छुट्टी जमा करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में कतिपय स्पष्टीकरण जारी किये गये हैं। यह आशंका व्यक्त की गयी है कि क्या बोर्ड के उपर्युक्त पत्र के अन्तर्गत जारी किये गये स्पष्टीकरणों की सीमा के अन्तर्गत स्कूल के अन्य कर्मचारियों जैसे प्रयोगशाला सहायकों, सहायकों और पुस्तकाध्यक्षों और ग्रुप "सी" और ग्रुप "डी" के अन्य कर्मचारियों को भी लाया जा सकता है। कार्मिक विभाग के साथ परामर्श करके मामले की जांच की गयी है और यह स्पष्ट किया जाता है कि बोर्ड के उपर्युक्त उल्लिखित पत्र के अन्तर्गत केवल रेलवे स्कूलों में कार्यरत प्रयोगशाला सहायक, पुस्तकाध्यक्ष और वाटरमैन आते हैं और ग्रुप "सी" या ग्रुप "डी" के अन्य गैर शिक्षण कर्मचारी इन नियमों द्वारा शासित नहीं होते हैं।

इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त है और रेल विभाग के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

(इससे महाप्रबंधक/प0रे0के 14.9.84 के संदर्भ सं0ईसी637/11 का निपटारा हो जाता है।

के. वेंकटेशन
(के. वेंकटेशन)
निदेशक, स्थापना (पीएंडए), रेलवे बोर्ड।

.....2/-

सं० ई(पीएंडए)I-81/सीपीसी/एलई-8 नई दिल्ली, दिनांक 14-8-1986

प्रतिलिपि वि०स०एवं मु०ले०अधि०, सभी भारतीय रेलें, चि०रे०का०, डी०रे०का०, स०डि०का० सहित प्रेषित ।

के. वेंकटेशन

(के०वेंकटेशन)

निदेशक, स्थापना (पीएंडए)

रेलवे बोर्ड ।

सं० ई(पीएंडए)I-81/सीपीसी/एलई-8 नई दिल्ली, दिनांक 14-8-1986

प्रतिलिपि:- अपर उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें), नई दिल्ली को प्रेषित ।

कृते वित्त आयुक्त, रेलें ।

सं० ई(पीएंडए)I-81/सीपीसी/एलई-8 नई दिल्ली, दिनांक 14-8-1986

प्रतिलिपि (25 प्रतियों सहित) प्रेषित

1. महासचिव, एआईआरएफ, 4-स्टेट इन्ट्री रोड, नई दिल्ली ।
2. महासचिव, एनएफआईआर, 3-चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली ।
3. राष्ट्रीय परिषद, विभागीय परिषद और सचिव, कर्मचारी पक्ष, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली ।

(के० आर० वेंकटेशन)

कृते सचिव, रेलवे बोर्ड ।

प्रतिलिपि प्रेषित:-

एफ(ई)III(2 अतिरिक्त प्रतियों सहित)

ई(एलआर)I(5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)

ई(जी)(3 अतिरिक्त प्रतियों सहित)